

>

Title: Regarding mandatory service of doctors in the rural areas of the country.

डॉ. संजय जायसवाल : बहुत-बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आपके माध्यम से सदन का द्यान मेडिकल कांसिल ऑफ इंडिया और माननीय रवास्था एवं परिवार कल्याण मंत्री जी द्वारा दिए गए तुगलकी फरमान की तरफ टिलाना चाहता हूँ। आपने ख्याल, विपक्ष की नेता माननीय श्रीमती सुषमा रवाज जी, डॉ. निरिजा व्यास जी, सभी जे महिलाओं के उत्पीड़न पर कितनी बार इस सदन में बहस की है। इसी देश में यह कानून बनता है कि 22 और 23 साल की लड़कियों को जबर्दस्ती कहा जाता है कि अगर आपको डाक्टर बनना है, पीजी करना है, तो छर छातत में गांव में जाना पड़ेगा। जिस देश में महिलाएं टिल्ली और मुंबई में सुरक्षित नहीं हैं, उस समय एक ऐसा कानून बनाना कि 22-23 साल की लड़कियों को अगर एमएस-एमडी करना है, तो छर छातत में गांव में जाना पड़ेगा, उचित नहीं है। अगर इस तरह का कोई कानून पास ही करना है, तो सबसे पहले छम सांसदों को करना चाहिए, सबसे पहले छम अपनी बैटियों को बिहार और उत्तर प्रदेश के गांवों में भेजें। जिससे पूरे विष्व में एक मैरेज जा सके कि छमारे देश में लड़कियां कितनी रोफ हैं। ...**(व्यवधान)** यहाँ पर कोई ऐसी महिला सांसद नहीं हैं, जो यह कहती हों कि छम यहाँ पर इस वीज के लिए डरते हैं। ...**(व्यवधान)** यह संविधान में दिए गए मौतिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोई व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करता है, तो उसको पहले तिखकर दे सकते हैं कि उसे गांव में नौकरी करनी पड़ेगी, तो किन आप किसी को बिना नौकरी दिए हुए जबर्दस्ती कर रहे हैं कि एक साल गांव में जाना पड़ेगा, तो यह सशसार गतत है। दूसरी बात में माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह का कोई कानून बनाना भी है, तो एमएस या एमडी कोर्सेज के दूसरे वर्ष की छात्राओं के लिए बनाएं वयोंके अगर वह छात्र या छात्रा एक साल पोर्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कर लेगा, तो उसको इतनी ज्यादा जानकारी हो जाएगी कि वहाँ जाकर काम कर सके।...**(व्यवधान)**

श्री तृष्णानी सरोज (महिलीश्वर) : बलात्कार की घटनाएं शहरों में होती हैं, गांवों में नहीं होती हैं।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

डॉ. संजय जायसवाल : आप किसी भी लड़की या लड़के को इस बात के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वह छर छातत में एक साल गांव में काम करें। यह संविधान के मौतिक अधिकारों का उल्लंघन है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि इस तरह का तुगलकी फरमान बंद किया जाए। आप उनको सरकारी नौकरी में रखिए, फिर उसे कर्त्ता भी भेजिए, कोई टिकटक नहीं होगी। तो किन किसी भी लड़की को किसी भी गांव में भेजना बिलकुल गतत है।...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए।

डॉ. संजय जायसवाल : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस बात को उठाने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

अध्यक्ष महोदया :

डॉ. किशीत प्रेमजीआई योतांकी,

श्री शिवकुमार उदारी

*m04 डॉ. संजय जायसवाल जी द्वारा शून्य प्रहर में उठाए गए विषय से रवायं को सम्बद्ध करते हैं।